

दि. 18.7.99

श्रीमान,

निदेशक § प्रशासन §

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय,

नई दिल्ली ।

विषय : अन्तरराष्ट्रीय ऋण लेकर परियोजना संचालन के क्रम में सुझाव

सन्दर्भ : सरकार का विज्ञापन § जुलाई 1999 §

महोदय,

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, सीडा, डेनिडा, ओ.डी.ए. केयर, यूनिसेफ, नोराड, यूएस.एड, यू.एन.फी.पी.ए. इत्यादि वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सिंचाई इत्यादि क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित की जाती हैं ।

मैं, विशेषतः स्वास्थ्य मंत्रालय की परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि विदेशी ऋण का भारत में दुरुपयोग हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यू.एस.एड, यूनिसेफ, विश्व बैंक तथा डेनिडा इत्यादि परियोजनाओं के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 20 वर्ष में 15 बार अलग-अलग प्रशिक्षण "मोड्यूल" तैयार किए गए हैं जो सभी एक जैसे हैं । वर्कशॉप, सेमिनार, संगोष्ठी तथा कान्फ्रेंस के नाम पर करोड़ों रुपया व्यय होता है तथा निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में विश्व बैंक की भारत जनसंख्या परियोजना 6-7 में कार्य करके मैं यह बता सकता हूँ कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रत्येक राज्य में 20-30 ऐसे अधिकारी दो दशक ^{से अधिक} से काम कर रहे हैं जो हर नये कार्यक्रम में प्रशिक्षण, वर्कशॉप, विदेश यात्रा तथा माड्यूल निर्माण के माध्यम से लाखों रुपया हजम करते हैं । स्पष्ट है इससे स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली नहीं सुधर पाती है ।

अतः सुझाव है कि विदेशी ऋण पर आधारित परियोजनाओं के धन से

लगा, लंगोठो, प्रशिक्षण, मोड्यूल निर्माण, प्रतिनियुक्ति का हॉग तथा शैक्षणिकों का निर्माण तथा नई शैक्षणिकों को स्थापित न किया जाए। इससे केवल करीबों तथा निर्धन व्यय होता है। कृपया विचार करें।

सादर

भवदीय

॥ डॉ. सुरेन्द्र कुमार कटारिया ॥

पोस्ट बॉक्स नं. 20

सीकर - 332001 राज.